न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 24/17 **निर्णय दिनांकः—24.09.2018**

1. शिम्भूराम पुत्र बीरमाराम जाति नाई निवासी मूंजासर तहसील नोखा हाल रामपुरा बस्ती बीकानेर।
2. श्रीमती जमना (पुत्री बीरमाराम) पत्नी लालाराम जाति नाई निवासी नालबड़ी तहसील बीकानेर।
3. श्रीमती रामी पुत्री बीरमाराम पत्नी लिखमणराम जाति नाई निवासी सीयाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. कैलाशदान
2. अभयदान
3. अलसीदान
4. गटूदान
5. ओमदान
6. धनूदान

पुत्रगण स्व. हनुमानदान जाति चारण निवासी मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

7. मु. अनुसूया बेवा हड़मानदान जाति चारण निवासी मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. मु. सुरजां पुत्री हड़मानदान पत्नी दिनेशदान जाति चारण निवासी सुचाय तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
9. मु. सुमन पुत्री हड़मानदान पत्नी मनोहरदान जाति चारण निवासी दासूड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
10. मु. मधु पुत्री हड़मानदान पत्नी भैरदान जाति चारण निवासी गड़ीयाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
11. मु. छैलु पुत्री हड़मानदान पत्नी गिरधारीदान जाति चारण निवासी देशनोक जिला बीकानेर।
12. मु. राधा पुत्री हड़मानदान पत्नी भोपालदान जाति चारण निवासी देशनोक जिला बीकानेर।
13. चन्दूदान पुत्र धौंकलदान जाति चारण निवासी ग्राम मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
14. किशनदान पुत्र धौंकलदान जाति चारण निवासी ग्राम मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

15. मु. गवरा बेवा सीतूदान जाति चारण निवासी ग्राम मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
16. भैरूदान पुत्र सीतूदान जाति चारण निवासी ग्राम मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
17. मु. रामा पुत्री सीतूदान जाति चारण निवासी ग्राम मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
18. मु. सुरजा पुत्री सीतूदान जाति चारण निवासी ग्राम मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
19. मु. किरण पुत्री सीतूदान जाति चारण निवासी ग्राम मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
20. मु. मैना पुत्री सीतूदान जाति चारण निवासी ग्राम मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
21. किशनदान पुत्र धौंकलदान जाति चारण निवासी ग्राम मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
22. गायड़दान पुत्र धौंकलदान जाति चारण निवासी ग्राम मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
23. मु. सुखी बेवा भंवरदान जाति चारण निवासी ग्राम मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
24. मु. पुष्पा कंवर पुत्री धोंकलदान पत्नी दुलेदान निवासी गांव साबीका नोखा जिला बीकानेर।
25. मु. चनी पुत्री धोंकलदान पत्नी देवीदान मु. पो. देशनोक तहसील बीकानेर।
26. मु. संतोष पुत्री धोंकलदान पत्नी मदनदान गांव सूंडा की ढाणी तहसील रामगढ़ शेखावटी जिला सीकर।
27. मु. मुली पुत्री धोंकलदान पत्नी विजयदान गांव कानणी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
28. मु. मोहन कंवर उर्फ मन्नू पुत्री धोंकलदान पत्नी भैरूदान गावं नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

29. दयालूराम उर्फ रामदयाल पुत्र स्व. बीरमाराम जाति नाई निवासी मूंजासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—प्रोफोर्मा रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 01–06–2012
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के निर्णय दिनांक 01–06–2012 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट का दावा आदेश 17 नियम 3 सीपीसी के तहत अदम सबूतों में खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 14 मिन रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा (दक्षिणी हिस्सा) पोलजी वाला ग्राम मुरीदसर के बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136/125 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अदालत मातहत द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 के नियम 3 के तहत आदेश पारित करते हुए अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किया गया है।

प्रकरण में वादगत् भूमि के अखादान व प्रतापदान पुत्र खूमदान की खातेदारी भूमि थी। जिनका स्वर्गवास हो चुका है। अखादान निःसंतान फौत हो गया तथा प्रतापदान के दो पुत्र लिछुदान तथा धोंकलदान है। अखादान ने अपने जीवनकाल में धोंकलदान को कभी

खोले नहीं लिया ना ही रजिस्ट्री करवाई गई फिर भी साजिशाना तरीके से अखादान के हिस्से की भूमि का इंतकाल संख्या 2 अपने नाम तस्दीक करवा लिया गया। जबकि उक्त खेत में से आधा दक्षिणी हिस्सा भूमि 39 बीघा 18 बिस्वा संवत् 2002 से वादीगण/अपीलांट के बतौर सब—टीनेन्ट कब्जा व काश्त में चली आ रही है। परन्तु संवत् 2021 में राज्यादेश द्वारा जमाबन्दी तथा गिरदावरी में सब टीनेन्ट का नाम अंकित करना बन्द कर दिया गया इसलिए खेत मुतनाजा पर निरन्तर कब्जा काश्त होते हुए भी बीरमाराम का नाम अंकित नहीं हुआ। जबकि वास्तविक रूप से वादगत् भूमि पर बीरमाराम का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है।

इसी प्रकार राज्यादेश के माध्यम से ही पुनः संवत 2031 में बीरमाराम का नाम सबटीनेन्ट के नाम दर्ज किया गया। ऐसीस्थिति में मौके पर वास्तविक कब्जाकाश्त होने व रेवेन्यू रिकार्ड में नाम अंकित नहीं होने के कारण अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष रेवेन्यू रिकार्ड में नाम दुरूस्त करवाने व धोषणा का दावा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया क्योंकि रेवेन्यू रिकार्ड यथा खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी के अंकन के आधार पर सवंत् 2012 यानि दिनांक 15—10—1955 को वादीगण के पिता बीरमाराम का कब्जा बतौर सब टीनेन्ट अंकित होने के आधार पर उसे धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादगत् भूमि 39 बीघा 18 बिस्वा के स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही, अनभिज्ञता व उदासिनता के कारण रेवेन्यू रिकार्ड में ना तो बीरमाराम का ना ही उसके वंशज को वादगत् भूमि का खातेदार टीनेन्ट अंकित किया गया। वादगत् भूमि के बाबत् लगान आदि भूमि संवत् 2002 से जमा करवाया जाता रहा है जिसकी रसीदें भी बतौर सबूत प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार प्रकरण में यह भली भांति राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में साबित होता है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट्स/वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष एक दावा वर्ष 1990 में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 30—03—2002 को प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7

नियम 11 सीपीसी खारिज किया गया है। इसी क्रम में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 06—10—2006 को वादगत् भूमि के अधिकारों की धोषणा हेतु नियमानुसार तनकीयात कामय की गई। जिसमें से तनकी संख्या 1 ता 5 को साबित करने भार वादीगण पर कायम किया गया तथा तनकी संख्या 6 ता 11 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर कायम किया गया। इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य भलींभांति साबित है कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण के विधिक रूप से निस्तारण हेतु तनकीयात कायम करते हुए उन्हें साबित करने का भार वादीगण/प्रतिवादीगण पर कायम किया गया था।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत का यह अभिलिखित किया जाना कि दावा बिना सबूत साक्ष्य एवं बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत किया गया है, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत गलत अवधारणा कायम करते हुए पारित किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरआरटी 2009 पार्ट ाा पेज 1055 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। जिसमें अभिलिखित किया गया है किः—

It is also open in such a case for a party to file an appeal and it would be maintainable on the principle that the right of appeal depends on what the court actually did not on what it ought to have done and a party should not suffer for the mistake of the court.

हस्तगत् प्रकरण में वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र के समर्थन में तमाम सबूत यथा जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, शपथपत्र आदि प्रस्तुत किये गये थे। जिनके आधार पर वादीगण को वादगत् भूमि पर कॉज ऑफ एक्शन हासिल था। जिसे मिथ्या/गलत साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जबकि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है।

जब अदालत मातहत के समक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके थे तब ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को वादपत्र पर नियमानुसार दावा, जवाब दावा, तनकीयात् व दोनों पक्षों की साक्ष्यों पर अपना विवेचन अंकित करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना अपरिहार्य था। अदालत मातहत द्वारा अपने न्यायिक कर्तव्य से विमुख होकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि चूंकि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए आरटी एक्ट तथा धारा 136/125 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपीलांट/ रेस्पोडेन्ट के वादगत् भूमि पर हक व हकूक नियमानुसार वाद में तनकीयात् कायम करते हुए व उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तय होने है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तों को ताक पर रखते हुए अपीलांट का वाद आदेश 17 नियम 3 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों व विधि के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा सीसीसी 2008 पार्ट I पेज 321 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अभिलिखित किया गया है किः—

Civil Procedure Code, 1908 O. 17 R 3(a), R 3(b)- A decision U. O 17 R. 3 (a) as in the case of a decision under O. 17 R. 2 Explanation shall be a decision on merits - A decision purportedly made under R. 3 (a) unless the same is on merit will have to be construed as a decision under R.(b) itself.

इसी क्रम में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा सीसीसी 1999 पार्ट II पेज 211 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अभिलिखित किया गया है किः–

Civil Procedure Code, 1908 O. 17 R. 3 Evidence closed - Case not decided forthwith but adjourned for arguments - If the case is not decided forthwith, evidence of the party at fault cannot be closed - The very purpose of the procedure laid down in O. 17 R. 3 CPC is defeated if case is not decided forthwith. Petitioner granted one opportunity to lead evidence at its own responsibility.

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियांद के बिन्दु पर कथन किया गया कि अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद के देखरेख की जिम्मेदारी वादी दयालूराम उर्फ रामदयाल को सौंपा हुआ था। चूंकि दयालूराम काफी वर्षो से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था तथा इसी बीमारी के लम्बे उपचार से वह गुजरा है। अपीलांट संख्या 1 सरकार नौकरी में होने से उसका स्थानान्तरण समय समय पर अन्यत्र होने व अपीलांट संख्या 2 व 3 अपनी–अपनी सुसराल में रहने के कारण उन्हें आदेश जैर अपील की जानकारी प्राप्त नहीं सकी। तत्पश्चात् दिनांक 15–05–2017 को आदेश जैर अपील की जानकारी होने पर जानकारी के दिन से अपील मियांद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

ऐसी स्थिति में प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं विधि के सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना अपरिहार्य हो वहॉ मियांद के बिन्दु पर उदार रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए, अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियांद के बिन्दु पर आरआरडी 1998 पेज 319 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। जिसमें अभिलिखित है किः–

Court of law are required to put a glance as a condition precednet or merits of appeals and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts shoud be made to decided appeal on merits.

इसी क्रम में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियांद के बिन्दु पर आरआरटी 2013 पार्ट II पेज 878 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है :—

Limitation Act, 1963 Sec. 5 Condonation of delay - Delay of 449 days in filing appeal - Sufficient cause shown in affidavit & delay explained - Held dealy condoned.

इसी क्रम में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1378, आरआरटी 2002 पार्ट I पेज 648 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वार पारित आदेश जो विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। उन्होंने आगे बताया कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर अर्थात मामलें में नियमानुसार तनकीयात कायम करते हुए व उभय पक्षों की साक्ष्यों के आधार पर निस्तारण किया जाना हो वहॉ प्रकरण को तकनीकी बिन्दु पर निस्तारित किये जाने के स्थान पर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो निरस्त योग्य आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 01—06—2012 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 24—05—2017 को प्रस्तुत की गई है। जोकि करीब 5 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई है। जबकि कानूनन अपील प्रस्तुत करने की मियांद 60 दिन निश्चित की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण में अपीलांट ने अपील 5 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत किये जाने का कोई संतोषजनक कारण न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा धारा 5 मियांद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये गये है वे संतोषप्रद कारणों की श्रेणी में नहीं आते है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में देरी को कण्डोन करने के कारणों में अंकित किया गया है कि मानसिक बीमारी के चलते दयालुराम ने अपीलांट शम्भूराम को कभी यह नहीं बताया कि वह लापरवाही कर रहा है। अपीलांट के इस तथ्य को सही मान भी लिया जावे तब भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दयालुराम के अतिरिक्त चार अन्य पक्षकार भी वादीगण के रूप में संयोजित थे। इस कारण यदि दयालुराम बीमार भी था तब भी अन्य वादीगण अदालत मातहत के समक्ष हाजिर थे।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा देरी को कण्डोन करने का दूसरा कारण दिनांक 15—05—2017 को कैलाशदान के ताने की असलियत का पता करने अपीलांट शिम्भूराम दिनांक 16—05—2017 को नोखा गया तो वहॉ पत्रावली की पूछताछ की तो निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई।

इस संबंध में अपीलांट द्वारा मात्र मौखिक कथन से इस तथ्य को सही नहीं माना जा सकता कि उक्त दिनांक को वह नोखा गया। जबकि अपीलांट को निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। जिन तारीखों का अंकन प्रार्थना पत्र में किया गया है वह तारीखें व घटना मनगढ़त व मात्र मियांद को कण्डोन कराने मात्र के उद्वेश्य से अभिलिखित की गई है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र में देरी को कण्डोन करने के कारण अंकित किये गये है वह संतोषप्रद कारण की परिभाषा में नहीं आते है। अपीलांट ने उक्त अपील आदेश जैर अपील के पॉच वर्ष उपरान्त अर्थात 1835 दिन उपरान्त प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में यह साबित है कि अपीलांट अपने अधिकारों के प्रति सजग व जागरूक नहीं रहे है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आरआरडी 1955 पेज 252 आरबी, डीएनजे 1999 पेज 56, आरआरडी 1980 एनयूसी पेज 20, आरआरटी 2004 पार्ट II पेज 1219, आरआरटी 2004 पार्ट I पेज 576, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 154, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 154, आरआरटी 2011 पार्ट I पेज 614, आरआरटी 2007 पार्ट II पेज 939, आरबीजे (7) 2000 पेज 470, आरबीजे 2000 पेज 71(72), एआईआर 1998 एससी पेज 2276 पैरा 6, आरआरटी 2006 पार्ट II पेज 1171, आरआरडी 1995 पेज 456 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर की गई कार्यवाहियों के संबंध में अभिकथन करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 24—07—1990 को दावा प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण निरन्तर पक्षकारों की तलबी में चलता रहा। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया है व जानबूझ कर वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण के अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 24—11—2006 को दावा अदम हाजरी में खारिज किया गया। जोकि दिनांक 22—12—2006 को दावा रेस्टोर किया गया तथा पत्रावली जिरह हेतु निर्धारित की गई।

तत्पश्चात् अपीलांट/वादीगण के अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30—11—2007 को पुनः दावा अदम हाजरी में खारिज किया गया। जिसे दिनांक

31—01—2008 को रेस्टोर करते हुए पत्रावली जिरह हेतु निर्धारित की गई। उक्त दिनांक के पश्चात् अपीलांट/वादीगण अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये व दिनांक 23—01—2009 को पुनः दावा अपीलांट/वादीगण की अदम हाजरी में खारिज किया गया। जिसे दिनांक 01—08—2011 को पुनः रेस्टोर किया गया।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वार अपीलांट/वादीगण का दावा शहादत में आने के पश्चात् वर्ष 2006 से 2011 के दरमियान तीन बार अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। वादी स्वयं अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आता व कुछ समय व्यतीत करने के उपरान्त दावा रेस्टोर करवाता व जानबूझकर शहादत व जिरह से गुरेज करता रहा है। अपीलांट/वादीगण के उक्त कृत्य से यह स्वतः साबित है कि अपीलांट/वादीगण अपने स्वयं के द्वारा प्रस्तुत दावे को विधि विरूद्व तरीके से लम्बित करता रहा है। ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं अपने मुकदमें के प्रति जागरूक नहीं रहा है उसे मियांद अधिनियम का फायदा नहीं दिया जा सकता है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत की फर्द अहकाम के अनुसार अपीलांट/वादी को दिनांक 25—04—2008 को शहादत हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था तथा दिनांक 11—07—2008 को पूर्व में अंतिम अवसर के बाद सौ रूपये की कॉस्ट पर एक और अंतिम अवसर प्रदान किया गया। इसी प्रकार दिनांक 12—12—2008 को कॉस्ट बढ़ाकर एक अंतिम अवसर और प्रदान किया गया। इसी कदर दिनांक 02—01—2009 को वकील वादी को एक अंतिम अवसर और प्रदान किया जावे ऐसी स्थिति में न्यायहित में एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया।

इसप्रकार उपरोक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से साबित है कि अपीलांट/वादीगण अपने वादपत्र के संबंध में गैर जिम्मेदार रहा है तथा उसके द्वारा जानबूझकर अदालत मातहत के समक्ष साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वर्ष 2006 से वर्ष 2012 तक कुल 19 अवसर प्रदान किये गये है, इन तमाम अवसरों के बावजूद भी अपीलांट/वादीगण द्वारा जानबूझकर दावे को साबित करने हेतु साक्ष्य, शहादत, जिरह आदि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में

अपीलांट/वादीगण स्वयं अपने दावे के प्रति सजग व गंभीर नहीं रहे है। ऐसे व्यक्ति को दफा 5 मियांद अधिनियम का फायदा दिया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं माना जा सकता है।

प्रकरण में यदि अपीलांट के इस कथन को स्वीकार भी कर लिया जावे कि इलिगल आदेश पर मियांद अधिनियम लागू नहीं होता है इस संबंध में कानून का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश जो इलिगल हो उस पर भी मियांद अधिनियम लागू होता है। कोई भी व्यक्ति इस आधार पर कि आदेश अविधिक है मियांद अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1991 पेज 164 में अभिनिर्धारित किया गया है कि The bar of limitation is applicable to illegal order also. इसी प्रकार आरआरडी 198 पेज 500 में भी अभिनिर्धारित किया गया है कि Indian Limitation Act, Section 5 - Bar of limitation is applicable to illegal order also (para 10)

प्रकरण में जहॉ तक विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2013 पार्ट II पेज 878 एससी की नजीर का प्रश्न है यह नजीर डीबी की है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर एआईआर 1999 एससी पेज 738 पैरा 22 व 23 की लार्जर बैंच की है तथा आरबीजे 2015 पेज 482 की नजीर माननीय सर्वोच्य न्यायालय की है जिसमें व्यवस्था की गई है कि मियांद को कण्डोन करने के लिए आरबीट्रेली व फैन्सीफूल मैनर में मियांद बाहर अपील को पेश करने में हुई देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद जाब्ता दिवानी के आदेश 17 नियम 3 के क्लोज 'ए' के तहत जिरह हेतु उपस्थित नहीं आने के कारण खारिज किया गया है जो सही रूप से खारिज किया गया है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष खेत खसरा नम्बर 14 मिन रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा (दक्षिणी हिस्सा) पोलजी वाला ग्राम मुरीदसर के बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136/125 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट/वादीगण के उक्त दावे को अदालत मातहत द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 के नियम 3 के तहत आदेश पारित करते हुए अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। है।

(2) प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट/वादीगण द्वारा दिनांक 24—07—1990 को दावा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। उक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रथम दृष्टया साबित है कि प्रकरण लम्बी अवधि तक अदालत मातहत के समक्ष पक्षकरों की शहादत, जिरह व साक्ष्य में जैरकार रहा है।

(3) **प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वादपत्र** अपीलांट/वादीगण के अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर **प्रथम बार दिनांक 24—11—2006 को दावा अदम हाजरी में खारिज किया गया।** जिसे अपीलांट/वादीगण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर **दिनांक 22—12—2006** को दावा रेस्टोर किया गया तथा पत्रावली जिरह हेतु निर्धारित की गई। तत्पश्चात् अपीलांट/वादीगण के अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर पुनः **दिनांक 30—11—2007 को दावा अदम हाजरी में खारिज किया गया।** जिसे अपीलांट/वादीगण के प्रार्थना पत्र पर **दिनांक 31—01—2008** को रेस्टोर करते हुए पत्रावली जिरह हेतु निर्धारित की गई। इसी क्रम में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23—01—2009 को पुनः दावा अपीलांट/वादीगण की अदम हाजरी में

खारिज किया गया। जिसे पुनः अपीलांट/वादीगण के प्रार्थना पत्र पर **दिनांक 01—08—2011** को पुनः रेस्टोर किया गया।

इसतरह से अदालत मातहत द्वार अपीलांट/वादीगण का दावा **वर्ष 2006 से 2011 के मध्य अपीलांट/वादीगण के प्रार्थना पत्र पर तीन बार अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये गये दावे को रेस्टोर किया गया है।** अपीलांट/वादीगण के उक्त कृत्य से यह साबित होता है कि वे स्वयं अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है तथा अपीलांट/वादीगण अपने स्वयं के द्वारा प्रस्तुत दावे को विधि विरूद्व तरीके से लम्बित किया जाता रहा है।

(4) यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण के वादपत्र को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र पर रेस्टोर किया जाता रहा है तथा शहादत हेतु समय दिया जाता रहा है। इस संबंध में अदालत मातहत की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। जिससे यह भलीं भांति साबित होता है कि अपीलांट/वादी को **दिनांक 25—04—2008 को शहादत हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया** था तत्पश्चात् **दिनांक 11—07—2008 को 100/— रूपये की कॉस्ट** पर एक और अंतिम अवसर प्रदान किया गया।

इसी कम में **दिनांक 12—12—2008 को कॉस्ट बढ़ाकर एक अंतिम अवसर और प्रदान किया गया।** तत्पश्चात् **दिनांक 02—01—2009 को वकील वादी को एक अंतिम अवसर और प्रदान किया जावे ऐसी स्थिति में न्यायहित में एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया।**

इसप्रकार उपरोक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से साबित है कि अपीलांट/वादीगण अपने वादपत्र के संबंध में जिम्मेदार पूर्ण रैवया नहीं अपनाया गया है तथा जानबूझकर अदालत मातहत के समक्ष साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। प्रकरण में अदालत मातहत की आदेशिकाओं के अनुसरण में वर्ष 2006 से वर्ष 2012 तक कुल 19 अवसर प्रदान किये गये है, इन तमाम अवसरों के बावजूद भी अपीलांट/वादीगण द्वारा जानबूझकर दावे को साबित करने हेतु साक्ष्य, शहादत, जिरह आदि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादीगण स्वयं अपने दावे के प्रति सजग व गंभीर नहीं रहे है प्रतीत होता है।

(5) **ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा** उनके समक्ष जैरकार वाद को लगभग 6 वर्षो तक साक्ष्य हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपने दावे के समर्थन में सबूत साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट/वादीगण का वाद आदेश 17 नियम 3 सीपीसी के तहत खारिज अदम सबूतों में खारिज करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है। **न्याय का यह सिद्वान्त है कि कोई भी सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है।**

(6) प्रकरण में जहॉ तक न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील का प्रश्न है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01—06—2012 के विरूद्व दिनांक 24—05—2017 को प्रस्तुत की गई है। जोकि अपीलाधीन आदेश पारित होन के करीब — करीब 5 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियांद के बिन्दु पर कथन किया गया कि अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद के देखरेख की जिम्मेदारी वादी दयालूराम उर्फ रामदयाल को सौंपा हुआ था। चूंकि दयालूराम काफी वर्षो से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था तथा इसी बीमारी के लम्बे उपचार से वह गुजरा है तथा अपीलांट संख्या 1 राजकीय सेवा में होने से उसका स्थानान्तरण समय समय पर अन्यत्र होने व अपीलांट संख्या 2 व 3 अपनी सुसराल में रहने के कारण उन्हें आदेश जैर अपील की जानकारी प्राप्त नहीं सकी। तत्पश्चात् दिनांक 15—05—2017 को आदेश जैर अपील की जानकारी होने पर जानकारी के दिन से अपील मियांद अन्दर प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए एवं विधि के सर्वमान्य सिद्वान्त के अनुसरण में कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ न्यायालय को मियांद के बिन्दु पर उदार रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए।

इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अपीलांट/वादीगण ना तो अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वादपत्र में सजग दृष्टिकोण अपनाया गया है। अदालत मातहत की आदेशिकाओं के अनुसरण में यह साबित है कि अपीलांट/वादीगण का वादपत्र समय—समय पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता रहा है तथा अपीलांट/वादीगण

द्वारा स्वमेव अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अपीलांट/वादीगण का वादपत्र पुनः रेस्टोर किया गया है। ऐसीस्थिति में अपीलांट का कथन कि वादपत्र के निस्तारण के पॉच वर्ष तक उन्हें निर्णय की जानकारी नहीं हुई स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण को उसके हक व हकूकों को साबित करने हेतु पर्याप्त समय से भी अधिक समय प्रदान किया जा चुका है।

न्याय की यह कभी मंशा नहीं रही है कि किसी भी पक्षकार को उसके जायज हितों से वंचित किया जावे, परन्तु जहॉ पक्षकार स्वयं अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं हो वहॉ विधि की एक समय सीमा तक ही उसके अधिकारों की सुरक्षा कर सकती है। प्रकरण में अपीलांट/वादीगण द्वारा अन्तहीन समय तक अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं रही है, जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वे मात्र प्रकरण को अनावश्यक रूप से जैरकार रखते हुए मामलें को येन–केन–प्रकारेण चलाये रखना चाहते है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अपने विधिक अधिकारों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में गुरेज किया जाता रहा है। कोई भी सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 1980 एनयूसी 20 मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है जिसमें अभिलिखित है कि Law does not help sleeps over his rights.

(7) प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए अपील में विलम्ब को कण्डोन करने की इस्तदुआ की गई है। जिसके प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के अनुसरण में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज करने की इस्तदुआ की गई है।

ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों व प्रकरण के तमाम तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने की अर्थात दिनांक

24—07—1990 से आज दिनांक तक करीब 28 वर्षो तक प्रकरण को अनावश्यक रूप से अपने विधिक अधिकारों को साबित करने के बजाय अन्यथा कारणों से जैरकार/लम्बित किया जाता रहा है। जिसका विवेचन अपर लिखित पैराज में किया जा चुका है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते है।

उपरोक्त नजीर व विवेचन के प्रकाश में वादी/अपीलांट का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 3 के तहत खारिज करने में अदालत मातहत द्वारा कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है। अतः अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01—06—2012 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर